राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 14711/2021

प्रियंका पाठक पुत्री श्री अरविंद कुमार पाठक, आयु लगभग 36 वर्ष, घर संख्या 42, गली संख्या 1, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज)----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, निदेशालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राज)।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:-श्री सुशील बिश्नोई।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:- श्री विशाल जांगिड़, श्री के. एस. राजपुरोहित श्री हेमंत चौधरी।

माननीय श्री जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश

11/01/2024 1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19.02.2020 की प्रतीक्षा सूची (अनुलग्नक 3) से नियुक्ति के लिए उसके नाम की अनुशंसा नहीं करने से उत्पन्न हुई है। प्रार्थना यहहै कि विभाग को उसे प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 होने के कारण, सभी परिणामी लाभों के साथ, मुख्य सूची से उम्मीदवार, जिसे नियुक्ति की पेशकश की गई थी, के शामिल न होने के कारण वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी विषय) के पद पर नियुक्ति की पेशकश करने का निर्देश दिया जाए।

2. संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है।

2.1 प्रत्यर्थी सं.3- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने टी. एस. पी. क्षेत्र के लिए वरिष्ठ शिक्षक (अंग्रेजी) के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 09.04.2018 (अनुलग्नक 1) को एक विज्ञापन जारी किया।

2.2 याचिकाकर्ता ने उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से चुना गया। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, 16 सफल उम्मीदवारों की एक मुख्य सूची 17.02.2020 (अनुलग्नक 2) को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद, एक प्रतीक्षा सूची दिनांकित 19.02.2020 (अनुलग्नक 3) को प्रकाशित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 1 में शामिल था।

2.3 प्रत्यर्थी- आर. पी. एस. सी. ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को 16 सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की और उपरोक्त 16 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश दिनांक 13.08.2020 (अनुलग्नक 4) को प्रदान किये गये। उक्त नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि अलका जैन इसमें शामिल नहीं हुई हैं। पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता को पता चला कि नियुक्ति प्राधिकरण ने प्रतिवादी-राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्त पद को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के लिए एक अनुरोध भेजा है। हालांकि, प्रतिवादी-आरपीएससी ने याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की जो प्रतीक्षा सूची में नंबर एक पर है/था।

2.4. इसलिए, यह रिट याचिका लगाई गई है।

3. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की फाइल का अवलोकन किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में तर्क दिया कि यदि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई भी व्यक्ति कार्यभार ग्रहण नहीं

करता है, तो प्रतीक्षा सूची से अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा प्रतीक्षा सूची का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में विभाग द्वारा आरपीएससी से अनुशंसा मांगे जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर होने के कारण याचिकाकर्ता की अनुशंसा नहीं की गई।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद उसे लागू नहीं किया जा सकता। प्रतीक्षा सूची की वैधता केवल 6 महीने की अवधि के लिए बताई गई है।

6. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने मेरे विद्वान भाई डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, न्यायमूर्ति (तत्कालीन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील बताते हैं कि योग्यता सूची में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि, रिक्ति स्थिति के अनुसार 31.08.2020 थी। कुछ उम्मीदवारों के शामिल न होने के बाद, प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए, राज्य द्वारा 06.04.2021 और 23.06.2021 को एक सिफारिश की गई थी, जो नियम 25 के विपरीत छह महीने की समाप्ति के बाद है। राज्य को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में सिफारिश की गई थी और क्या कोविड-19 की चरम स्थिति राज्य के लिए छह महीने के बाद प्रतीक्षा सूची के संचालन के साथ आगे बढ़ने का कारण थी। मामले को 18.12.2023 को सूचीबद्ध करें।

7. इस मामले पर बाद में मेरे द्वारा सुनवाई की गई और दिनांक 05.01.2024 को एक आदेश पारित किया गया। उपयुक्त होने के कारण, इसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 23.11.2023 के आदेश के संबंध में न तो कोई हलफनामा दाखिल

किया गया है और न ही अन्यथा कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इस आधार पर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, निदेशालय बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान) (प्रतिवादी संख्या 2) को अगली सुनवाई की तिथि यानी 11.01.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।

8. आज फिर से शुरू हुई सुनवाई में, श्री आशीष मोदी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर, वी. सी. के माध्यम से उपस्थित हैं और कार्यवाही में शामिल हुए हैं।

9. राज्य के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी (कानूनी) द्वारा प्रस्तुत एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है।

10. उपरोक्त शपथपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि वास्तव में राजस्थान लोक सेवा आयोग से सफल उम्मीदवारों की सिफारिश की मांग करने में विभाग की ओर से देरी हुई थी। अनुरोध पत्र दिनांक 06.04.2021 (अनुलग्नक आर 3/1) छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भेजा गया था। कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से छह महीने की गणना की जानी है जिसे 31.08.2020 माना गया है।

11. हालांकि, हलफनामे में विभाग की ओर से देरी का औचित्य दिया गया है और इसकी सामग्री विवादित नहीं है। मेरा विचार है कि उक्त औचित्य स्वीकृति के योग्य है। तैयार संदर्भ के लिए प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"4. XXX

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्मिक विभाग ने आरक्षित-सूची/प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की सिफारिशों के संबंध में 26.4.2018 और 19.7.2001 दिनांकित परिपत्र जारी किए, जिसमें, 'विषय-वार' या 'क्षेत्र-वार' नहीं, बल्कि 'भर्ती-वार' मांग भेजने के लिए

दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे। 26.4.2018 और 19.7.2001 दिनांकित परिपत्रों की प्रतियां इसके साथ प्रस्तुत की जाती हैं और अनुलग्नक-ए/ए/3 और अनुलग्नक-ए/ए/4 के रूप में चिह्नित की जाती हैं। 19.07.2001 दिनांकित परिपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि छह महीने की सीमा आयोग द्वारा आरक्षित सूची को अग्रेषित करने के संबंध में है। यह पर्याप्त नहीं है कि संबंधित विभाग को आयोग द्वारा मूल सूची भेजे जाने की तारीख से छह महीने के भीतर आयोग को अनुरोध भेजना चाहिए था। इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित विभाग ने निर्धारित अवधि के भीतर आयोग को मांग भेजी होगी, यदि आयोग किसी भी कारण से छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित विभाग को आरक्षित सूची भेजने में असमर्थ है, तो आयोग को आरक्षित सूची से किसी भी नाम की सिफारिश करने से रोक दिया जाता है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में प्रासंगिक समय पर, कोविड-19 महामारी के कारण, नियुक्ति और संबद्ध मामलों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ समय लगा। टी. एस. पी. और गैर-टी. एस. पी. क्षेत्र के लिए वरिष्ठ शिक्षक (विभिन्न विषयों) के पद के लिए भर्ती एक ही भर्ती थी और आर. पी. एस. सी. को प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची के संचालन के उद्देश्य से टी. एस. पी. और गैर-टी. एस. पी. दोनों क्षेत्रों के लिए अंतिम निर्धारित तिथि को एक ही माना जाना चाहिए था। इस तरह, यह स्पष्ट है कि टी. एस. पी. क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सूची जारी न करने का श्रेय वर्तमान उत्तरदाता-आर. पी. एस. सी. को नहीं दिया जा सकता है।"

12. सामान्यतः यह न्यायालय प्रतीक्षा सूची के छह महीने की समाप्ति के बाद अपने रिट अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं करता, लेकिन यह इतना स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय के दौरान कोविड-19 के कारण हुई वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। उक्त चरण के

दौरान न्यायालयों सहित पूरा राज्य तंत्र पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। आर. पी. एस. सी. या विभाग या चयनित उम्मीदवारों के साथ "फोर्स मैजेयर" के कारण हुई देरी के लिए कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। किसी भी मामले में, साधारण कानून यह है कि प्रक्रियाओं के नियम न्याय के सहायक होते हैं और मूल न्याय के अधीन होने से उन्हें महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

13. तदनुसार, एक बार के उपाय के रूप में, राज्य/विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2024 को दिए गए हलफनामे में लिए गए स्पष्ट रुख को देखते हुए और उपरोक्त मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, विभाग को अनुमति दी जाती है और उसे याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची से नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि आज की स्थिति में संबंधित पद के लिए रिक्ति उपलब्ध हो।

14. तदनुसार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।